[2010] 15 अतिरिक्त एस.सी.आर 591

तस्सदिक हुसैन

बनाम

मो. राशिद कुरैशी एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 1825/2006)

23 नवम्बर, 2010

[जे.एम. पंचाल तथा ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति]

जम्मू और कश्मीर का संविधान, 1957 - धारा 50(3) - चुनाव लड़ने की पात्रता - धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "पूंछ जिला का निवासी" - इसकी व्याख्या - जम्मू और कश्मीर की विधान परिषद - पूंछ जिला के निवासी हेतु आरक्षित सीट को भरने की निर्वाचन प्रक्रिया - तीन अभ्यर्थी, जिनमें अपीलकर्ता भी सम्मिलित, जो जिला राजौरी का निवासी है - क्या अपीलकर्ता, जिला राजौरी का निवासी होने के कारण, पूंछ जिला के निवासी हेतु आरक्षित सीट के चुनाव में भाग लेने के लिए अपात्र था - अभिनिर्धारित, हाँ - "पूंछ जिला का निवासी" शब्द का सामान्य अर्थ पूंछ जिला का निवासी ही होगा और राजौरी का निवासी पूंछ जिला का निवासी नहीं माना जा सकता - यदि संविधान निर्माताओं का आशय पूंछ तथा राजौरी दोनों के निवासियों को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने का होता, तो उन्हें पूंछ जिला के क्षेत्राधिकार को राजौरी सहित परिभाषित करने से कोई नहीं रोकता - ऐसी परिभाषा के अभाव में "पूंछ जिला" अभिव्यक्ति को उसके स्वाभाविक, सामान्य अथवा प्रचलित अर्थ में ही समझा जाएगा - यहाँ तक कि ऐतिहासिक रूप से भी, राजौरी कभी पूंछ जिला का भाग नहीं रहा, चाहे वह जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रवर्तन से पूर्व हो या पश्चात - अपीलकर्ता द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह संकेत मिले कि राजौरी का निवासी, धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध के प्रयोजनार्थ, पूंछ जिला का निवासी कहा या माना जाता है - अतः "पूंछ जिला का निवासी" अभिव्यक्ति में राजौरी का निवासी सम्मिलित नहीं है।

विधियों की व्याख्या - निर्माण का स्वर्णिम नियम - अभिनिर्धारित: किसी विधि के शब्दों को प्रथम दृष्टया उनके सामान्य अर्थ में ही लिया जाना चाहिए - संसद को प्रथम दृष्टया इस रूप में समझा जाना चाहिए कि उसने अधिनियम या संविधान में जो कहा है, वही उसका अभिप्राय है - न्यायालयों को निर्माण के स्वर्णिम नियम का अनुप्रयोग करना चाहिए, अर्थात् विधिक भाषा को उसके संदर्भ में व्याकरणिक एवं पारिभाषिक रूप से उसके सामान्य एवं प्राथमिक अर्थ में, बिना किसी लोप या वृद्धि के, पढ़ना चाहिए - तथापि, संसद को इस सामान्य बुद्धि का भी श्रेय दिया जाना चाहिए कि जब ऐसा दृष्टिकोण अन्याय, असंगति, विरोधाभास अथवा

विधिक उद्देश्य के निष्फल होने का कारण बनता है, तब उस हानि से बचने के लिए भाषा में आवश्यक सीमा तक संशोधन किया जा सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू और कश्मीर की विधान परिषद में उत्पन्न छह रिक्तियों को भरने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की, जिनमें पूंछ जिला के निवासी के लिए आरक्षित एक रिक्ति भी सम्मिलित थी, दिनांक 24 मार्च, 2005 की अधिसूचना के माध्यम से, जो जम्मू और कश्मीर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की धारा 29 के अंतर्गत जारी की गई थी।

पूंछ जिला के निवासी हेतु आरक्षित सीट के लिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 तथा अपीलकर्ता सहित तीन अभ्यर्थियों ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। तीसरे अभ्यर्थी ने चुनाव नहीं लड़ा। प्रत्यर्थी संख्या 1 जिला पूंछ का निवासी है, जबकि अपीलकर्ता जिला राजौरी का निवासी है। नामांकन पत्रों की जांच के समय, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपीलकर्ता की अभ्यर्थिता पर यह आपत्ति उठाई कि अपीलकर्ता, जिला राजौरी का निवासी होने के कारण, पूंछ जिला के निवासी हेतु आरक्षित सीट के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है और अतः उसका नामांकन पत्र निरस्त किया जाए। रिटर्निंग अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2005 को दी गई स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उठाई गई आपत्ति को अस्वीकार कर दिया तथा अपीलकर्ता के नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात चुनाव सम्पन्न हुआ और अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपेक्षा अधिक मत प्राप्त होने के कारण निर्वाचित घोषित किया गया।

व्यथित होकर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका दायर की तथा विधान परिषद के लिए अपीलकर्ता के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी कि अपीलकर्ता चुनाव लड़ने के लिए अपात्र था, अतः उसका निर्वाचन शून्य एवं अवैध है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आगे यह भी प्रार्थना की कि अपीलकर्ता के निर्वाचन को शून्य एवं अवैध घोषित करने के पश्चात, उसे अपीलकर्ता के स्थान पर विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित घोषित किया जाए।

उच्च न्यायालय ने उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार किया, जिसके परिणामस्वरूप पूंछ जिला एवं राजौरी जिला का गठन हुआ, और यह अभिनिर्धारित किया कि राजौरी, जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रवर्तन से पूर्व या पश्चात, कभी भी पूंछ जिला का भाग नहीं रहा और, इसलिए, राजौरी जिला का निवासी किसी भी प्रकार से पूंछ जिला का निवासी नहीं माना

जा सकता और न ही माना जा सकता था। उच्च न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) की भाषा पूर्णतः स्पष्ट एवं असंदिग्ध है और, इसलिए, उसके द्वारा पूंछ जिला के निवासी के लिए प्रदान किया गया आरक्षण, राजौरी जिला के निवासी को सम्मिलित करने के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जाना चाहिए, और तदनुसार निर्वाचन याचिका को स्वीकार कर लिया।

वर्तमान अपील, जम्मू और कश्मीर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की धारा 123 के अंतर्गत दायर की गई, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित थी। न्यायालय के समक्ष निर्धारण हेतु निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न हुए: क्या जम्मू और कश्मीर के संविधान, 1957 की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "पूंछ जिला", जिसके द्वारा विधान परिषद में पूंछ जिला के निवासी के लिए एक सीट आरक्षित की गई है, का अर्थ वही पूंछ जिला है जैसा कि 24 मार्च, 2005 को, जब निर्वाचन अधिसूचना प्रकाशित हुई, अस्तित्व में था, या उसमें राजौरी भी सम्मिलित है; और क्या जिला राजौरी को कभी विधि के अंतर्गत, जम्मू और कश्मीर के संविधान, 1957 के प्रवर्तन से पूर्व या उसके दिनांक पर, पूंछ जिला का भाग के रूप में गठित एवं अधिसूचित किया गया था।

अपील को निरस्त करते हुए, न्यायालय ने द्वारा:

अभिनिर्धारित: 1.1. उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में निकाला गया यह निष्कर्ष कि जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "पूंछ जिला का निवासी" में राजौरी का निवासी सम्मिलित नहीं है, न्यायसंगत है तथा वर्तमान अपील में उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है। [पैरा 22] (618-F]

1.2. यह विधि द्वारा सुव्यवस्थित है कि किसी अधिनियम के शब्दों को सर्वप्रथम उनके स्वाभाविक, सामान्य अथवा प्रचलित अर्थ में समझा जाना चाहिए तथा वाक्यांशों और वाक्यों की व्याख्या उनके व्याकरणिक अर्थ के अनुसार की जानी चाहिए, जब तक कि उससे कोई असंगति उत्पन्न न हो या संदर्भ अथवा अधिनियम के उद्देश्य में ऐसा कुछ न हो जो इसके विपरीत संकेत करता हो। यदि प्रयुक्त भाषा का स्वाभाविक अर्थ है, तो सामान्यतः न्यायालय उस अर्थ से विचलित नहीं हो सकता, जब तक कि अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ने पर संदर्भ न्यायालय को ऐसा न करने के लिए निर्देशित न करे। विधियों की व्याख्या में उनके शब्दों का सामान्यतः उनके साधारण व्याकरणिक अर्थ में ही अर्थ लगाया जाता है।

निस्संदेह, जिस संदर्भ में वे प्रयुक्त हुए हैं तथा अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है, जब शब्दों के साधारण व्याकरणिक अर्थ को अपनाया जाता है। प्रायः यह कहा जाता है कि स्वर्णिम नियम यह है कि किसी अधिनियम के शब्दों को प्रथम दृष्टया उनके सामान्य अर्थ में ही दिया जाना चाहिए। संसद को प्रथम दृष्टया इस रूप में समझा जाना चाहिए कि उसने अधिनियम या संविधान में जो कहा है, वही उसका अभिप्राय है। विधियों का प्रारूपण, जो उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो विधि के शासन के अधीन जीवनयापन की आशा रखते हैं, तब तक संतोषजनक नहीं हो सकता जब तक न्यायालय, जहाँ तक संभव हो, निर्माण के स्वर्णिम नियम को लागू करने का प्रयास न करें, अर्थात् विधिक भाषा को उसके संदर्भ में, बिना किसी लोप या वृद्धि के, व्याकरणिक एवं पारिभाषिक रूप से उसके सामान्य एवं प्राथमिक अर्थ में पढ़ा जाए। निस्संदेह, संसद को इस सामान्य बुद्धि का भी श्रेय दिया जाना चाहिए कि जब ऐसा दृष्टिकोण अन्याय, असंगति, विरोधाभास अथवा विधिक उद्देश्य के निष्फल होने का कारण बनता है, तब उस हानि से बचने के लिए भाषा में आवश्यक सीमा तक संशोधन किया जा सकता है। [पैरा 14] [612-8-F]

1.3. यदि संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "पूंछ जिला" की व्याख्या उसके सामान्य एवं व्याकरणिक अर्थ में की जाए, तो इसका अर्थ वही पूंछ जिला होगा जैसा कि उस समय गठित था जब निर्वाचन अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। यदि "पूंछ जिला" अभिव्यक्ति का सामान्य अर्थ स्वीकार किया जाए, तो इसका अभिप्राय पूंछ जिला का वही भौगोलिक क्षेत्र होगा जैसा कि वर्ष 2005 में चुनाव कराने हेतु जारी अधिसूचना की तिथि पर अस्तित्व में था। "पूंछ जिला का निवासी" शब्द का सामान्य अर्थ पूंछ जिला का निवासी ही होगा और राजौरी का निवासी पूंछ जिला का निवासी नहीं माना जा सकता। यदि संविधान निर्माताओं का आशय पूंछ तथा राजौरी दोनों के निवासियों को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने का होता, तो उन्हें पूंछ जिला के क्षेत्राधिकार को राजौरी सहित परिभाषित करने से कोई नहीं रोकता। ऐसी परिभाषा के अभाव में "पूंछ जिला" अभिव्यक्ति को उसके स्वाभाविक, सामान्य अथवा प्रचलित अर्थ में ही समझा जाना चाहिए। यह निर्विवाद स्थिति है कि राजस्व विभाग पुनर्गठन अधिनियम, 2008 के प्रावधानों में उल्लिखित "जिला" शब्द की परिभाषा के अनुसार "जिला" का अर्थ "राजस्व जिला" है, और यदि इस व्याख्या को अपनाया जाए, तो यह तत्काल स्पष्ट हो जाता है कि संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध में प्रयुक्त "पूंछ जिला" अभिव्यक्ति में राजौरी सम्मिलित नहीं है। [पैरा 15] [612-H; 613-A-D]

महेश्वरी फिश सीड फार्म बनाम टी.एन. विद्युत बोर्ड एवं अन्य ***(2004) 4 एससीसी 705****; डॉ. अजय प्रधान बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य* ***एआईआर 1988 एससी 1875****; उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम प्रधान संघ क्षेत्र समिति एवं अन्य* ***1995 सप्ली. (2) एससीसी 305****; के. वेंकटरमैया बनाम ए. सीताराम रेड्डी एवं अन्य* ***1964 (2) एससीआर 35****; जीत मोहनिंदर सिंह बनाम हरमिंदर सिंह जस्सी* ***(1999) 9 एससीसी 386****; सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ* ***(1993) 4 एससीसी 441****; प्रिंटर्स हाउस प्रा. लि. बनाम मस्त सैय्यादन (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण एवं अन्य* ***(1994) 2 एससीसी 133****; नरेंद्र सिंह बनाम माला राम एवं अन्य* ***(1999) 8 एससीसी 198 - उद्धृत।***

2. यहाँ तक कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह पाया जाता है कि राजौरी, जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रवर्तन से पूर्व या पश्चात, कभी भी पूंछ जिला का भाग नहीं रहा। उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया था कि चूँकि जिला राजौरी के लिए कोई पृथक एवं स्वतंत्र जिला प्रशासन उपलब्ध नहीं था तथा जिला राजौरी और जिला पूंछ दोनों का प्रशासन संयुक्त जिला प्रशासन द्वारा पूंछ से किया जाता रहा, अतः प्रशासनिक प्रयोजन के लिए दोनों जिलों को एक ही जिला, अर्थात् राजौरी-पूंछ जिला, कहा जाता था। तथापि, अभिलेख से यह संकेत नहीं मिलता कि प्रशासन द्वारा कभी भी "राजौरी-पूंछ जिला" नामक कोई जिला गठित किया गया था। अभिलेख यह भी दर्शाते हैं कि यह स्थिति वर्ष 1957 तक बनी रही, जब जम्मू और कश्मीर का संविधान 26 जनवरी, 1957 से प्रभावी किया गया। राज्य के सामान्य विभाग ने राजस्व तथा विधि-व्यवस्था के हित में, दिनांक 30 सितम्बर, 1967 को सरकारी आदेश संख्या 137-सी, 1967 जारी कर पूंछ जिला को दो जिलों में विभाजित किया, अर्थात् (1) पूंछ जिला, जिसमें हवेली एवं मेंढर तहसीलें सम्मिलित थीं, जिसका मुख्यालय पूंछ में था, तथा (2) राजौरी जिला, जिसमें राजौरी एवं नौशेरा तहसीलें सम्मिलित थीं, जिसका मुख्यालय राजौरी में था। उक्त आदेश द्वारा पूंछ जिला से पृथक की गई तहसील राजौरी एवं नौशेरा को मिलाकर एक पृथक जिला, जिसे "जिला राजौरी" कहा गया, गठित किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य के राजस्व विभाग ने जम्मू और कश्मीर भू-राजस्व अधिनियम, संवत 1996 की धारा 5 के अंतर्गत दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 को अधिसूचना संख्या एसआरओ 444 जारी कर यह निर्देश दिया कि तहसील राजौरी एवं नौशेरा की क्षेत्रीय सीमाएँ विद्यमान पूंछ-राजौरी जिला से पृथक की जाएँगी तथा एक पृथक जिला, जिसे "जिला राजौरी" कहा जाएगा, के रूप में गठित की जाएँगी। उपरोक्त दोनों आदेशों का अवलोकन करने पर एक स्पष्ट तथ्य, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, यह है कि यद्यपि एक स्वतंत्र जिला के रूप में

राजौरी जिला के गठन के लिए जम्मू और कश्मीर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत नई अधिसूचना की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी यह अधिसूचना पुनः जारी की गई, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि तहसील राजौरी एवं नौशेरा को प्रशासनिक रूप से पूंछ-राजौरी जिला कहे जाने वाले क्षेत्र से पृथक कर एक पृथक जिला, जिसे "जिला राजौरी" कहा जाता है, के रूप में गठित किया गया। यद्यपि उपरोक्त दोनों आदेशों में पूंछ-राजौरी जिला का उल्लेख किया गया है, वस्तुतः ऐसा कोई जिला गठित या निर्मित नहीं किया गया था, जिसे "पूंछ-राजौरी जिला" कहा जाए, और सम्भवतः समस्त भ्रम का कारण केवल उपर्युक्त दोनों आदेशों में "पूंछ-राजौरी जिला" के उल्लेख से उत्पन्न हुआ है। [पैरा 16] [613-E-H; 614-A-H; 615-A-D]

3. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि यदि संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "पूंछ जिला का निवासी" की व्याख्या पूंछ जिला के निवासी के रूप में की जाए और उसमें राजौरी के निवासी को सम्मिलित न माना जाए, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव संविधान की धारा 50 की उपधारा (2) के उपबंध, जिसमें कारगिल एवं लेह का उल्लेख है, की व्याख्या पर पड़ेगा, भय उत्पन्न करने हेतु दिया गया तर्क (in terrorem) है और स्वीकार्य नहीं है। यह तर्क कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रतिपादित व्याख्या को यदि न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो इसका प्रभाव संविधान की धारा 50 की उपधारा (2) के उपबंध की व्याख्या पर पड़ेगा, संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध पर गलत व्याख्या आरोपित करने का कोई आधार नहीं है। [पैरा 17, 18] [615-E-G]

इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम आई.ओ.बी. स्टाफ कैंटीन वर्कर्स यूनियन एवं अन्य ***(2004) 4 एससीसी 245 - पर निर्भर किया गया।***

4. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया स्पष्टीकरण न केवल संबंधित दोनों जिलों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के प्रतिकूल है, बल्कि यह विधि की व्याख्या के सुव्यवस्थित सिद्धांतों के भी प्रत्यक्षतः विरुद्ध है। यह सत्य है कि जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 138 के अंतर्गत, संविधान के अधीन राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। तथापि, धारा 138 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, राज्य विधानमंडल या विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं अथवा प्रादेशिक परिधि को परिभाषित नहीं कर सकता। संभव है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण, संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध की व्याख्या करते समय न्यायालय द्वारा विचारार्थ लिया जा सकता

है। किन्तु, अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति, उक्त स्पष्टीकरण को न तो राज्य सरकार, न ही चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों और मतदाताओं पर बाध्यकारी बनाती है। यह इस न्यायालय पर भी बाध्यकारी नहीं है। [पैरा 19] [616-F-H; 617-A-F]

लक्ष्मी कांत बाजपेयी बनाम हाजी याकूब एवं अन्य ***(2010) 4 एससीसी 81 - उद्धृत।***

5. यह अंतिम दलील कि "पूंछ जिला का निवासी" अभिव्यक्ति में राजौरी के निवासी को सम्मिलित नहीं माना जाता है, इसे सिद्ध करने का भार प्रत्यर्थी संख्या 1 पर है, जिसने अपीलकर्ता के विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, और चूँकि उक्त भार निर्वहन नहीं किया गया, अतः याचिका खारिज की जानी चाहिए, सर्वथा निराधार है। विवादित आदेश पर एक दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया था कि यह पूर्णतः विधिक प्रश्न है, जिसका निर्णय संविधान के प्रावधानों की व्याख्या के आधार पर किया जाना है। ऐसी परिस्थितियों में प्रमाण के भार का प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष उत्पन्न ही नहीं हुआ। यह न्यायालय पाता है कि यह अपीलकर्ता का विशिष्ट मामला था कि "पूंछ जिला का निवासी" अभिव्यक्ति में राजौरी जिला का निवासी भी सम्मिलित है और, अतः, अपीलकर्ता, यदि वह उचित समझता, तो अपने उक्त कथन को सिद्ध करने हेतु अभिलेख पर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था। वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलकर्ता द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह संकेत मिले कि राजौरी का निवासी, संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध के प्रयोजनार्थ, पूंछ जिला का निवासी कहा या माना जाता है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 की याचिका, जिसमें अपीलकर्ता के विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, को इस आधार पर खारिज न करना कि प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रमाण के भार का निर्वहन करने में असफल रहा, पूर्णतः उचित था। [पैरा 21] [618-C-E]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि:

(2004) 4		एस.सी.सी. 705	पैरा 4,8 में उद्धृत
ए.आई.आर.	1988	एस.सी. 1875	पैरा 4 में उद्धृत
1995	सप्ली. (2)	एससीसी 305	पैरा 6 में उद्धृत
1964	(2)	एससीआर 35	पैरा 6 में उद्धृत
(1999)	9	एससीसी 386	पैरा 6 में उद्धृत
(1993)	4	एससीसी 441	पैरा 6 में उद्धृत

(1994)	**2**	**एससीसी 133**	**पैरा 6 में उद्धृत**
(1999)	**8**	**एससीसी 198**	**पैरा 6 में उद्धृत**
(2010)	**4**	**एससीसी 81**	**पैरा 7, 19 में उद्धृत**
(2004)	**4**	**एससीसी 245**	**पैरा 18 में निर्भर किया गया**

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 1825/2006

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू द्वारा निर्वाचन याचिका संख्या 1/2005 में दिनांक 13.03.2006 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से राजीव धवन, सतपाल सिंह, कुँवर सी.एम. खान, एम.ए. खान, विकास सिंह तथा इरशाद अहमद।

उत्तरताओं की ओर से रंजीत कुमार, गौरव शर्मा, एम.आर. कुरैशी, अभिनव मुखर्जी, सुरभि मेहता, मुकेश के. गिरी, सुनील फर्नांडिस, विक्रांत नागपाल तथा एस. गोयल।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गया:

जे.एम. पंचाल, न्यायमूर्ति 1. यह अपील, जम्मू और कश्मीर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की धारा 123 के अंतर्गत दायर की गई है, जो जम्मू में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्वाचन याचिका संख्या 1/2005 में दिनांक 13 मार्च, 2006 को पारित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर निर्वाचन याचिका, जिसमें राज्य विधानमंडल की विधान परिषद के लिए अपीलकर्ता के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, स्वीकार कर ली गई है तथा उसका निर्वाचन शून्य घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी घोषित किया है कि अपीलकर्ता के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 1, अर्थात् श्री मो. राशिद कुरैशी, अधिवक्ता, को निर्वाचित घोषित किया जाता है।

2. वर्तमान अपील के उत्पन्न होने के तथ्य इस प्रकार हैं:

जम्मू और कश्मीर का संविधान (संक्षेप में 'संविधान') 26 जनवरी, 1957 को लागू किया गया। संविधान की धारा 50 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि विधान परिषद के ग्यारह सदस्य, विधान सभा के सदस्यों द्वारा जम्मू प्रांत के निवासियों में से निर्वाचित किए जाएंगे। तथापि, उक्त उपधारा

के उपबंध में यह उपबंधित किया गया है कि ग्यारह सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य डोडा जिला का निवासी होगा, जबकि कम से कम एक सदस्य पूंछ जिला का निवासी होगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू और कश्मीर की विधान परिषद में उत्पन्न छह रिक्तियों को भरने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की, जिनमें पूंछ जिला के निवासी के लिए आरक्षित एक रिक्ति भी सम्मिलित थी, दिनांक 24 मार्च, 2005 की अधिसूचना के माध्यम से, जो जम्मू और कश्मीर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 (संक्षेप में '1957 का अधिनियम') की धारा 29 के अंतर्गत जारी की गई थी। दिनांक 30 मार्च, 2005 की अधिसूचना के अंतर्गत यह निर्दिष्ट किया गया था कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2005 थी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 2 अप्रैल, 2005 को की जानी थी, जो अभ्यर्थिता वापस लेने की भी अंतिम तिथि थी। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, मतदान 11 अप्रैल, 2005 को होना था तथा निर्वाचन प्रक्रिया 15 अप्रैल, 2005 को पूर्ण की जानी थी।

पूंछ जिला के निवासी हेतु आरक्षित सीट के लिए, तीन अभ्यर्थियों, अर्थात् श्री मो. राशिद कुरैशी (वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 1), श्री तस्सदक हुसैन (वर्तमान में अपीलकर्ता) तथा श्री इम्तियाज़ अली सान्दाय ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। प्रत्यर्थी संख्या 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस राजनीतिक दल के प्रत्याशी थे, जबकि अन्य दो अभ्यर्थी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा प्रायोजित थे। श्री इम्तियाज़ अली सान्दाय ने चुनाव नहीं लड़ा और नामांकन वापसी की निर्धारित अंतिम तिथि पर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली। निर्विवाद रूप से, प्रत्यर्थी संख्या 1 तहसील मेंढर, जिला पूंछ का निवासी है, जबकि अपीलकर्ता ग्राम लरकोटी, तहसील बुधाल, कोटरांका, जिला राजौरी का निवासी है। नामांकन पत्रों की जांच के समय, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपीलकर्ता की अभ्यर्थिता पर यह आपत्ति उठाई कि अपीलकर्ता, जिला राजौरी का निवासी होने के कारण, पूंछ जिला के निवासी हेतु आरक्षित सीट के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है और अतः उसका नामांकन पत्र निरस्त किया जाए। रिटर्निंग अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पत्र संख्या 332/JK-LC/2005 दिनांक 30 मार्च, 2005 के माध्यम से दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उठाई गई आपत्ति को अस्वीकार कर दिया तथा अपीलकर्ता के नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया। अपीलकर्ता के नामांकन पत्र को स्वीकार करते समय, रिटर्निंग अधिकारी ने कारण अभिलिखित किए और यह अवलोकन किया कि पूंछ जिला की सीमाओं में किसी प्रशासनिक या वैधानिक आदेश द्वारा किए गए किसी भी परिवर्तन/संशोधन से पूर्ववर्ती पूंछ जिला के निवासियों को संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध के

अंतर्गत प्रदत्त आरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात चुनाव सम्पन्न हुआ और अपीलकर्ता को राज्य की विधान सभा के सदस्यों के 60 मत प्राप्त हुए, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में 28 मत पड़े। इस प्रकार, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को पूंछ जिला के निवासी हेतु आरक्षित सीट के लिए विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित घोषित किया गया।

3. इससे व्यथित होकर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका संख्या 1/2005 दायर की तथा वर्ष 2005 में सम्पन्न विधान परिषद के लिए अपीलकर्ता के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी कि अपीलकर्ता, चुनाव लड़ने के लिए अपात्र था, अतः उसका निर्वाचन शून्य एवं अवैध है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आगे यह भी प्रार्थना की कि अपीलकर्ता के निर्वाचन को शून्य एवं अवैध घोषित करने के पश्चात, उसे अपीलकर्ता के स्थान पर विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित घोषित किया जाए।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार किया, जिसके परिणामस्वरूप पूंछ जिला तथा राजौरी जिला का गठन हुआ, जो दोनों जिलों की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध थी। विद्वान न्यायाधीश ने अवलोकन किया कि आदेश संख्या 667-सी, 1949 दिनांक 20 अगस्त, 1949 के माध्यम से यह निर्णय लिया गया था कि तत्कालीन रियासी जिला, जिसमें तहसील रियासी एवं रामपुर-राजौरी सम्मिलित थे, को समाप्त कर एक नया जिला गठित किया जाए, जिसमें तहसील रामपुर-राजौरी एवं नौशेरा सम्मिलित हों और जिसका नाम राजौरी रखा जाए तथा जिसका मुख्यालय राजौरी में हो। न्यायालय ने यह भी ध्यान दिया कि दिनांक 20 अगस्त, 1949 की अधिसूचना के पश्चात, जम्मू और कश्मीर भू-राजस्व अधिनियम, 1996 (1939 ई.) की धारा 5 के अंतर्गत जिला राजौरी एक स्वतंत्र जिला के रूप में गठित हो गया था। न्यायालय ने यह भी पाया कि आदेश संख्या 1451-सी, 1950 दिनांक 11 दिसंबर, 1950 के माध्यम से, प्रशासनिक एवं राजस्व प्रयोजनों के लिए जिला राजौरी का प्रशासन जिला पूंछ मुख्यालय स्थित जिला प्रशासन द्वारा किया जाता था। न्यायालय ने आगे यह भी देखा कि अभिलेख पर ऐसा कोई भी सरकारी आदेश अथवा अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह सिद्ध हो कि "राजौरी-पूंछ जिला" नामक कोई जिला कभी गठित किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी पाया कि राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 की अधिसूचना एसआरओ 444 जारी करते समय, जिसके द्वारा जिला राजौरी को पूंछ-राजौरी जिला से पृथक किया गया, दिनांक 20 अगस्त, 1949 के सरकारी आदेश संख्या 667 का संज्ञान नहीं लिया गया था और, इसलिए, जम्मू और कश्मीर भू-राजस्व

अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत स्वतंत्र जिला के रूप में राजौरी जिला के गठन के लिए किसी नई अधिसूचना की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु आश्चर्यजनक रूप से वही पुनः जारी की गई। विद्वान न्यायाधीश ने अवलोकन किया कि राजौरी, संविधान के प्रवर्तन से पूर्व या पश्चात, कभी भी पूंछ जिला का भाग नहीं रहा और, इसलिए, राजौरी जिला का निवासी किसी भी प्रकार से पूंछ जिला का निवासी नहीं माना जा सकता और न ही माना जा सकता था। विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, संविधान में "पूंछ जिला" शब्द की कोई परिभाषा न होने के कारण, उक्त अभिव्यक्ति को उसके स्वाभाविक, सामान्य अथवा प्रचलित अर्थ में ही समझा जाना चाहिए। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी अवलोकन किया कि "पूंछ जिला" अभिव्यक्ति का सामान्य एवं प्रचलित अर्थ, राजस्व विभाग पुनर्गठन अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के साथ पढ़े जाने पर, राजस्व-प्रशासनिक जिला होगा और इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए इस न्यायालय के निर्णय महेश्वरी फिश सीड फार्म बनाम टी.एन. विद्युत बोर्ड एवं अन्य [(2004) 4 एससीसी 705] तथा डॉ. अजय प्रधान बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य [एआईआर 1988 एससी 1875] पर निर्भर किया गया। विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) की भाषा पूर्णतः स्पष्ट एवं असंदिग्ध है और, इसलिए, उसके द्वारा पूंछ जिला के निवासी के लिए प्रदान किया गया आरक्षण, राजौरी जिला के निवासी को सम्मिलित करने के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जाना चाहिए। उपर्युक्त निष्कर्षों के आलोक में, विद्वान न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर निर्वाचन याचिका को स्वीकार कर लिया तथा राज्य विधानमंडल की विधान परिषद के लिए अपीलकर्ता के निर्वाचन को शून्य घोषित किया, जबकि उसके स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिनांक 13 मार्च, 2006 के निर्णय द्वारा निर्वाचित घोषित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान अपील उत्पन्न हुई।

5. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक एवं गहन रूप से सुना है। इस न्यायालय ने अपील का अंग बने दस्तावेजों पर भी विचार किया है।

6. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 30 मार्च, 2005 के संप्रेषण में निर्वाचन आयुक्त द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता के नामांकन पत्र को स्वीकार करते समय तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उठाई गई आपत्ति को अस्वीकार करते समय, उचित रूप से विचार में लिया गया था। यह प्रतिपादित किया गया कि संविधान की धारा 138 के आलोक में निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण बाध्यकारी प्रभाव रखता है, अतः अपीलकर्ता के निर्वाचन को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता था। विद्वान अधिवक्ता ने बलपूर्वक कहा कि

पूंछ तथा राजौरी, दोनों ही पाकिस्तान के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट स्थित सीमावर्ती जिले हैं और इन्हें कठिनाई वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, इसलिए उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह कहना कि राजौरी, पूंछ जिला का भाग नहीं था, त्रुटिपूर्ण है। यह भी जोर देकर कहा गया कि संविधान के निर्माण के समय, दिनांक 11 दिसंबर, 1950 के आदेश के अनुसार, प्रशासनिक दृष्टि से पूंछ में राजौरी सम्मिलित माना जाता था और, अतः यह निष्कर्ष कि राजौरी का निवासी पूंछ जिला के लिए आरक्षित सीट पर विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु चुनाव नहीं लड़ सकता, त्रुटिपूर्ण है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, किसी संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या इस पर निर्भर नहीं हो सकती कि सरकार या उसका राजस्व विभाग क्या सोचता है, और यदि ऐसा किया गया, तो संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध द्वारा प्रदत्त आरक्षण प्रतिदिन परिवर्तित होता रहेगा। इसलिए यह माना जाना चाहिए था कि अपीलकर्ता, जो कि जिला राजौरी का निवासी है, पूंछ जिला के निवासी हेतु आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ने का अधिकारी था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई व्याख्या को स्वीकार किया जाए, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव संविधान की धारा 50 की उपधारा (2) के उपबंध के अंतर्गत लद्दाख तथा कारगिल तहसील के निवासियों के लिए किए गए आरक्षण पर तथा धारा 50 की उपधारा (3) के अंतर्गत डोडा जिला के निवासियों के लिए किए गए आरक्षण पर पड़ेगा, अतः उक्त व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह दायित्व प्रत्यर्थी संख्या 1 पर था कि वह साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध करे कि राजौरी, पूंछ जिला का भाग नहीं था, और चूँकि प्रत्यर्थी संख्या 1 इस दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहा, अतः उसके द्वारा दायर निर्वाचन याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए था। यह भी प्रतिपादित किया गया कि संविधान को व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए, क्योंकि यह सर्वोच्च मानक (ग्रैंड नॉर्म) है तथा अन्य विधियां इसी से उत्पन्न होती हैं, और चूँकि संविधान निर्माताओं का आशय पूंछ जिला के उस भौगोलिक क्षेत्र के निवासी को आरक्षण प्रदान करना था, इसलिए अपीलकर्ता के निर्वाचन को चुनौती देने वाली निर्वाचन याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रतिपादित किया कि "पूंछ जिला" अभिव्यक्ति में राजौरी जिला सम्मिलित है और, अतः संविधान की धारा 147 के अंतर्गत अपेक्षित संशोधन के बिना, केवल इस आधार पर कि "पूंछ जिला" में "राजौरी जिला" सम्मिलित नहीं है, अपीलकर्ता के निर्वाचन को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि कोई भी राजस्व प्राधिकरण संविधान या उसके अभिप्राय में परिवर्तन नहीं कर सकता

और, इसलिए, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जम्मू और कश्मीर भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 की अधिसूचना पर किया गया निर्भरता अनुचित है। विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। उपर्युक्त तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर किया, अर्थात् *(1) उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम प्रधान संघ क्षेत्र समिति एवं अन्य [1995 सप्ली. (2) एससीसी 305], (2) के. वेंकटरमैया बनाम ए. सीताराम रेड्डी एवं अन्य [1964 (2) एससीआर 35], (3) जीत मोहनिंदर सिंह बनाम हरमिंदर सिंह जस्सी [(1999) 9* एससीसी *386], (4) सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ [(1993) 4 एससीसी 441], (5) प्रिंटर्स हाउस प्रा. लि. बनाम मस्त सैय्यादन (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण एवं अन्य [(1994) 2 एससीसी 133] तथा (6) नरेंद्र सिंह बनाम माला राम एवं अन्य* [(1999) 8 एससीसी 198]।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने यह प्रतिपादित किया कि संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध में प्रयुक्त वाक्यांश "पूंछ जिला का निवासी" की व्याख्या उसके सामान्य अर्थ में की जानी चाहिए, जिसका अर्थ केवल पूंछ जिला के उस भौगोलिक क्षेत्र से है, जैसा कि वर्ष 2005 में निर्वाचन अधिसूचना की तिथि पर अस्तित्व में था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, "जिला" शब्द का सामान्य अर्थ जम्मू और कश्मीर राजस्व विभाग पुनर्गठन अधिनियम, 2008 में निहित है, जिसके अनुसार इसका अर्थ "राजस्व जिला" है, जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243A एवं 243P(ख) में "जिला" का अर्थ राज्य का जिला बताया गया है, अतः विवादित निर्णय को इस न्यायालय द्वारा यथावत रखा जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने भारत सरकार द्वारा प्रकाशित विधिक शब्दावली का भी उल्लेख किया, जिसमें "जिला" शब्द का अर्थ किसी विशेष प्रशासनिक अथवा आधिकारिक प्रयोजन के लिए पृथक अथवा परिभाषित क्षेत्र से है, जिसमें किसी प्रांत अथवा प्रेसीडेंसी का विभाजन या उपखंड सम्मिलित होता है। विद्वान अधिवक्ता ने बल दिया कि संविधान में प्रयुक्त किसी शब्द को ऐतिहासिक अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान एक गतिशील एवं जीवंत दस्तावेज है, जो समय की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि विधायिका की मंशा मुख्यतः प्रयुक्त भाषा से ही ज्ञात की जानी चाहिए तथा मंशा का निर्धारण करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या कहा गया है, न कि इस पर कि क्या नहीं कहा गया है। उनके अनुसार, विधि के शब्दों को सर्वप्रथम उनके स्वाभाविक, सामान्य अथवा प्रचलित

अर्थ में समझा जाना चाहिए तथा वाक्यांशों एवं वाक्यों की व्याख्या उनके व्याकरणिक अर्थ के अनुसार की जानी चाहिए, जब तक कि ऐसी व्याख्या से कोई असंगति उत्पन्न न हो या संदर्भ अथवा अधिनियम के उद्देश्य से इसके विपरीत संकेत न मिले। यह भी तर्क दिया गया कि विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों के स्वाभाविक एवं सामान्य अर्थ से विचलित नहीं होना चाहिए, जब तक यह प्रदर्शित न किया जाए कि जिस विधिक संदर्भ में शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वह भिन्न अर्थ की अपेक्षा करता है, तथा किसी अधिनियम को बिना किसी लोप या वृद्धि के उसके सामान्य एवं प्राथमिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिपादित किया कि संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट, सुस्पष्ट, निश्चित एवं असंदिग्ध है तथा यह संविधान निर्माताओं की मंशा को व्यक्त करती है, जो यह है कि "पूंछ जिला" अभिव्यक्ति में राजौरी जिला सम्मिलित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता की ओर से सुझाए गए विभिन्न व्याख्या के सिद्धांतों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर तब, जब "पूंछ जिला का निवासी" वाक्यांश का सामान्य अर्थ स्पष्ट एवं असंदिग्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि राजौरी जिला ऐतिहासिक रूप से भी पूंछ जिला का भाग नहीं था और मात्र इस कारण कि दिनांक 11 दिसंबर, 1950 के आदेश द्वारा दोनों जिलों के जिला मजिस्ट्रेट/एसएसपी का मुख्यालय पूंछ में निर्धारित किया गया था, पूंछ एवं राजौरी को एक जिला नहीं माना जा सकता। यह भी कहा गया कि वर्ष 1904 (ए.ओ.) में राजौरी जिला, भिंबर जिला का भाग था और बाद में इसे भिंबर से पृथक कर रियासी जिला से संबद्ध किया गया, किन्तु वर्ष 1949 में आदेश संख्या 667-सी, 1949 दिनांक 20 अगस्त, 1949 के माध्यम से रियासी जिला को समाप्त कर, रामपुर-राजौरी एवं नौशेरा तहसीलों को सम्मिलित करते हुए "राजौरी जिला" नामक नया जिला गठित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह प्रमाण का भार प्रत्यर्थी संख्या 1 पर नहीं था कि पूंछ जिला में राजौरी जिला सम्मिलित नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों ने, जैसा कि उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में उल्लेखित है, यह स्वीकार किया था कि यह पूर्णतः विधिक प्रश्न है, जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपीलकर्ता को यह स्वतंत्रता थी कि वह अभिलेख पर साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध करे कि राजौरी का निवासी, पूंछ जिला का निवासी कहा जाना चाहिए। यह भी बलपूर्वक कहा गया कि अपीलकर्ता द्वारा ऐसा कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह सिद्ध हो कि पूंछ जिला में राजौरी जिला सम्मिलित है, अतः संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध में प्रयुक्त "पूंछ जिला का निवासी" अभिव्यक्ति के सामान्य अर्थ को ही अपनाया जाना चाहिए। यह भी प्रतिपादित किया गया कि यद्यपि भारत निर्वाचन आयोग का दायित्व चुनावों का

अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना है, किन्तु उसे निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं अथवा प्रादेशिक परिधि को परिभाषित करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 30 मार्च, 2005 के उसके संप्रेषण में व्यक्त यह मत कि राजौरी जिला का निवासी, पूंछ जिला के निवासी हेतु आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ सकता है, का कोई मूल्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय के निर्णय लक्ष्मी कांत बाजपेयी बनाम हाजी याकूब एवं अन्य [(2010) 4 एससीसी 81] का उल्लेख किया, यह दर्शाने हेतु कि भारत निर्वाचन आयोग के पास किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करने अथवा विस्तारित करने की कोई शक्ति नहीं है। अंत में यह तर्क दिया गया कि यदि संविधान निर्माताओं का आशय पूंछ एवं राजौरी दोनों के निवासियों को स्थायी रूप से आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व देना होता, तो वे पूंछ जिला की सीमाओं को परिभाषित करते, किन्तु यह निर्विवाद है कि ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, अतः "पूंछ जिला" को उसके स्वाभाविक, सामान्य अथवा प्रचलित अर्थ में ही समझा जाना चाहिए। यह भी इंगित किया गया कि जम्मू और कश्मीर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान है और यदि सरकार का आशय राजौरी के निवासियों को विशेष स्थिति प्रदान करना होता, तो विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का उपयुक्त परिसीमन किया जा सकता था, और ऐसी परिसीमन के अभाव में संविधान की व्याख्या करते समय ऐतिहासिक अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए।

8. उपर्युक्त कथनों के समर्थन में, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय महेश्वरी फिश सीड फार्म बनाम टी.एन. विद्युत बोर्ड एवं अन्य [(2004) 4 एससीसी 705] पर निर्भर किया है।

9. जम्मू और कश्मीर राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के अधिवक्ता का यह कथन कि संविधान के प्रवर्तन के समय राजौरी, पूंछ जिला का भाग था, इसलिए अपीलकर्ता को पूंछ जिला के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने का अधिकार था, भ्रांतिपूर्ण एवं गलत है। यह प्रस्तुत किया गया कि जम्मू और कश्मीर भू-राजस्व अधिनियम, 1996 संवत् (1939 ई.) की धारा 5 में अन्य बातों के साथ यह प्रावधान है कि सरकार अधिसूचना द्वारा तहसीलों, जिलों तथा प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, जिनके अंतर्गत उनके प्रशासनाधीन क्षेत्र परिभाषित होते हैं, और अधिसूचना द्वारा इन तहसीलों, जिलों तथा प्रांतों की संख्या में भी परिवर्तन कर सकती है। यह भी कहा गया कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार द्वारा समय-समय पर जिलों के क्षेत्रों के निर्धारण हेतु अधिसूचनाएँ जारी की जाती रही हैं। विद्वान अधिवक्ता के

अनुसार, किसी भी प्रयोजन हेतु "जिला" या "तहसील" से आशय वही जिला या तहसील होगा, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है। यह प्रतिपादित किया गया कि वर्ष 1949 में प्रधानमंत्री सचिवालय के सामान्य विभाग द्वारा आदेश संख्या 667-सी, 1949 जारी किया गया था, जिसके द्वारा तहसील रामपुर-राजौरी एवं नौशेरा को सम्मिलित करते हुए, मुख्यालय राजौरी के साथ, जिला राजौरी का गठन किया गया था, अतः यह कहना गलत है कि संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध में उल्लिखित "पूंछ जिला" में राजौरी सम्मिलित है। राज्य की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि इस मामले में निर्वाचन की तिथि पर जिला राजौरी, पूंछ जिला से पृथक एवं भिन्न जिला था और, इसलिए, संविधान की धारा 50(3) के अंतर्गत प्रदत्त आरक्षित सीट का लाभ राजौरी जिला के निवासियों को उपलब्ध नहीं होगा। विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय में तथ्यों का सही आकलन किया है तथा विधि की सही व्याख्या की है, अतः इस न्यायालय द्वारा उस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

10. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक एवं गहन रूप से सुना है। इस न्यायालय ने अपील का अंग बने दस्तावेजों के साथ-साथ विधि के प्रासंगिक प्रावधानों पर भी विचार किया है, जिनकी ओर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, तथा बार में उद्धृत निर्णयों का भी अवलोकन किया है।

11. बार में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने से पूर्व यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता प्रतिशोधात्मक दावा (recrimination) नहीं कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि अपीलकर्ता ने यह प्रार्थना त्याग दी है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया यह स्वीकार इस कारण था कि यह मुद्दा अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था।

12. एक अन्य प्रासंगिक तथ्य, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, यह है कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि विधि-व्यवस्था, राजस्व तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रयोजन से पूंछ जिला विभाजित है। तथापि, उन्होंने यह बल दिया कि विधान परिषद के प्रयोजन से पूंछ जिला का कोई विभाजन नहीं है। यह न्यायालय पाता है कि यदि उक्त तर्क को स्वीकार किया जाए, तो इससे असंगत परिणाम उत्पन्न होंगे। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में यह कथन किया था

कि वर्ष 1967 के चुनावों से लेकर अब तक, पूंछ जिला के निवासियों के लिए आरक्षित सीट पर विधान परिषद का सदस्य के रूप में राजौरी जिला का कोई भी निवासी निर्वाचित नहीं हुआ है। वास्तव में, यह भी कथन किया गया कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी संख्या 3, अर्थात् वर्ष 2005 के चुनावों में रिटर्निंग अधिकारी, वर्ष 1999 के चुनावों में भी रिटर्निंग अधिकारी थे और उन्होंने राजौरी के एक निवासी के नामांकन पत्र को अयोग्य मानते हुए निरस्त कर दिया था। यह न्यायालय पाता है कि रिटर्निंग अधिकारी को राजौरी जिला के निवासी के नामांकन पत्र को निरस्त करने के एक सप्ताह के भीतर पुरस्कृत किया गया था तथा उन्हें सेवा में एक वर्ष का विस्तार प्रदान किया गया था। अतः यह न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या 1 तथा राज्य सरकार के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत इस तर्क में कुछ बल पाता है कि सरकार तथा निर्वाचन आयोग ने सदैव संविधान की धारा 50(3) के उपबंध में प्रयुक्त "पूंछ जिला" शब्द की व्याख्या पूंछ के राजस्व जिला के रूप में की है और राजौरी को पूंछ जिला का भाग नहीं माना गया है। यह न्यायालय पाता है कि उपर्युक्त कथनों को असत्य सिद्ध नहीं किया जा सका। पूर्ववृत्त (past history) भी अपीलकर्ता के इस कथन का समर्थन नहीं करता कि यद्यपि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों, जिसमें विधानसभा चुनाव भी सम्मिलित हैं, के लिए पूंछ जिला विभाजित था, फिर भी विधान परिषद के चुनाव के प्रयोजन से वह एकीकृत (एक) माना जाता था।

13. बार में प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों के परिप्रेक्ष्य में, इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि जम्मू और कश्मीर के संविधान, 1957 की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध में प्रयुक्त "पूंछ जिला" अभिव्यक्ति, जो विधान परिषद में पूंछ जिला के निवासी के लिए एक सीट आरक्षित करती है, क्या उस पूंछ जिला को अभिप्रेत करती है जैसा कि 24 मार्च, 2005 को, जब निर्वाचन अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, अस्तित्व में था, या इसमें राजौरी भी सम्मिलित है। न्यायालय के विचारार्थ एक अन्य प्रश्न यह भी है कि क्या जिला राजौरी को कभी विधि के अधीन, जम्मू और कश्मीर के संविधान, 1957 के प्रवर्तन से पूर्व अथवा उस तिथि पर, पूंछ जिला का भाग के रूप में गठित एवं अधिसूचित किया गया था।

14. यह सुव्यवस्थित विधि है कि किसी अधिनियम के शब्दों को सर्वप्रथम उनके स्वाभाविक, सामान्य अथवा प्रचलित अर्थ में समझा जाना चाहिए तथा वाक्यांशों और वाक्यों की व्याख्या उनके व्याकरणिक अर्थ के अनुसार की जानी चाहिए, जब तक कि इससे कोई असंगति उत्पन्न न हो या संदर्भ अथवा अधिनियम के उद्देश्य से इसके विपरीत संकेत न मिले। यदि प्रयुक्त भाषा का कोई स्वाभाविक अर्थ है, तो सामान्यतः न्यायालय उस अर्थ से विचलित नहीं हो सकता, जब तक कि पूरे अधिनियम को पढ़ने पर संदर्भ न्यायालय को ऐसा

न करने का निर्देश न दे। विधियों की व्याख्या करते समय उनके शब्दों को सामान्यतः उनके साधारण व्याकरणिक अर्थ में ही समझा जाता है। निस्संदेह, जिस संदर्भ में शब्द प्रयुक्त हुए हैं तथा अधिनियम का उद्देश्य, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही शब्दों के सामान्य व्याकरणिक अर्थ को अपनाया जाना चाहिए। प्रायः यह कहा जाता है कि 'स्वर्णिम नियम' (golden rule) यह है कि किसी अधिनियम के शब्दों को प्रथम दृष्टया उनके सामान्य अर्थ में ही लिया जाना चाहिए। संसद को प्रथम दृष्टया इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने अधिनियम या संविधान में जो कहा है, उसका वही अभिप्राय है। विधियों का प्रारूपण, जो उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो विधि के शासन के अंतर्गत जीवन यापन की आशा रखते हैं, तब तक संतोषजनक नहीं हो सकता जब तक न्यायालय, जहाँ तक संभव हो, व्याख्या के स्वर्णिम नियम को लागू करने का प्रयास न करें, अर्थात् विधिक भाषा को उसके संदर्भ में, बिना किसी लोप या वृद्धि के, उसके सामान्य और प्राथमिक अर्थ में व्याकरणिक तथा पारिभाषिक रूप से पढ़ा जाए। निस्संदेह, संसद को यह समझदारी भी प्रदान की जानी चाहिए कि जब ऐसा दृष्टिकोण अन्याय, असंगति, विरोधाभास अथवा विधिक उद्देश्य के विफल होने की स्थिति उत्पन्न करता है, तो उस हानि से बचने के लिए भाषा में आवश्यक सीमा तक संशोधन किया जा सकता है।

15. यदि संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध में प्रयुक्त "पूंछ जिला" अभिव्यक्ति की व्याख्या उसके सामान्य एवं व्याकरणिक अर्थ में की जाए, तो इसका अर्थ वही पूंछ जिला होगा, जैसा कि निर्वाचन अधिसूचना प्रकाशित होने के समय गठित था। यदि "पूंछ जिला" अभिव्यक्ति के सामान्य अर्थ को स्वीकार किया जाए, तो इसका अभिप्राय उस भौगोलिक क्षेत्र से होगा, जैसा कि वर्ष 2005 में चुनाव कराने हेतु जारी अधिसूचना की तिथि पर पूंछ जिला अस्तित्व में था। "पूंछ जिला का निवासी" शब्द का सामान्य अर्थ पूंछ जिला का निवासी ही होगा और राजौरी का निवासी, पूंछ जिला का निवासी नहीं माना जा सकता। यदि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य पूंछ तथा राजौरी दोनों के निवासियों को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रदान करना होता, तो उन्हें पूंछ जिला की सीमाओं को इस प्रकार परिभाषित करने से कोई नहीं रोकता था कि उसमें राजौरी भी सम्मिलित हो। ऐसी किसी परिभाषा के अभाव में, "पूंछ जिला" अभिव्यक्ति को उसके स्वाभाविक, सामान्य अथवा प्रचलित अर्थ में ही समझा जाना चाहिए। यह निर्विवाद है कि राजस्व विभाग पुनर्गठन अधिनियम, 2008 के प्रावधानों में "जिला" शब्द की परिभाषा के अनुसार इसका अर्थ "राजस्व जिला" है और यदि इस व्याख्या

को अपनाया जाए, तो यह तत्काल स्पष्ट हो जाता है कि संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध में प्रयुक्त "पूंछ जिला" अभिव्यक्ति में राजौरी सम्मिलित नहीं है।

16. यह न्यायालय यह भी पाता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी राजौरी, संविधान के प्रवर्तन से पूर्व अथवा पश्चात, कभी भी पूंछ जिला का भाग नहीं रहा। वर्ष 1949 में जम्मू और कश्मीर का कोई संविधान प्रभावी नहीं था, बल्कि उस समय जम्मू और कश्मीर संविधान अधिनियम, संवत् 1996 (जो 1939 ई. के समतुल्य है) लागू था। उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री राज्य का प्रमुख होता था। प्रधानमंत्री सचिवालय के सामान्य विभाग ने आदेश संख्या 667-सी, 1949 दिनांक 20 अगस्त, 1949 जारी किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि रियासी जिला, जिसमें तहसील रियासी तथा रामपुर-राजौरी सम्मिलित थे, को समाप्त कर दिया जाए तथा उसके स्थान पर एक नया जिला "राजौरी जिला" के नाम से गठित किया जाए, जिसमें तहसील रामपुर-राजौरी एवं नौशेरा सम्मिलित हों और जिसका मुख्यालय राजौरी में हो। यह भी उल्लेखनीय है कि तहसील रामपुर-राजौरी वर्तमान का राजौरी तहसील है, जिसे पूर्व में रामपुर-राजौरी कहा जाता था। उक्त आदेश दिनांक 20 अगस्त, 1949 के प्रकाशन के पश्चात, सरकार ने जम्मू और कश्मीर भू-राजस्व अधिनियम, 1996 (संवत्) की धारा 5 के अंतर्गत आदेश जारी कर, तहसील राजौरी एवं पुनर्गठित तहसील नौशेरा को सम्मिलित करते हुए, मुख्यालय राजौरी के साथ "राजौरी जिला" नामक एक नया जिला गठित किया। इसके पश्चात, आदेश संख्या 1451-सी, 1950 दिनांक 11 दिसंबर, 1950 जारी किया गया, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया कि जिला मजिस्ट्रेट एवं वजीर राजौरी तथा पूंछ तथा पुलिस अधीक्षक, राजौरी का मुख्यालय पूंछ में होगा तथा सहायक पुलिस अधीक्षक का मुख्यालय राजौरी में होगा। उपर्युक्त अधिसूचनाओं/आदेशों के संयुक्त एवं सार्थक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि राजौरी जिला एक स्वतंत्र जिला के रूप में गठित था, तथापि जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त का मुख्यालय पूंछ में स्थित था, जो पूंछ जिला का भी मुख्यालय था। इस प्रकार, प्रशासनिक एवं राजस्व प्रयोजनों के लिए राजौरी जिला का प्रशासन पूंछ स्थित जिला प्रशासन मुख्यालय द्वारा किया जाता था। इस न्यायालय को यह भी ज्ञात होता है कि इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि चूँकि राजौरी जिला के लिए पृथक एवं स्वतंत्र जिला प्रशासन उपलब्ध नहीं था तथा राजौरी और पूंछ दोनों जिलों का प्रशासन पूंछ से संयुक्त रूप से किया जाता था, अतः प्रशासनिक दृष्टि से दोनों जिलों को एक ही जिला, अर्थात् "राजौरी-पूंछ जिला" कहा जाता था। तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि अभिलेख में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि "राजौरी-पूंछ जिला" नामक कोई जिला वास्तव में कभी गठित

किया गया था। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि यह स्थिति वर्ष 1957 तक बनी रही, जब 26 जनवरी, 1957 से जम्मू और कश्मीर का संविधान प्रभाव में आया। यह भी महत्वपूर्ण है कि राज्य के सामान्य विभाग ने दिनांक 30 सितंबर, 1967 को आदेश संख्या 137-सी, 1967 जारी कर, राजस्व एवं विधि-व्यवस्था के हित में पूंछ जिला को दो जिलों में विभाजित कर दिया, अर्थात् (1) पूंछ जिला, जिसमें हवेली एवं मेंढर तहसीलें सम्मिलित थीं और जिसका मुख्यालय पूंछ में था, तथा (2) राजौरी जिला, जिसमें राजौरी एवं नौशेरा तहसीलें सम्मिलित थीं और जिसका मुख्यालय राजौरी में था। उक्त आदेश के द्वारा राजौरी एवं नौशेरा तहसीलों को, जो पूंछ जिला से पृथक की गई थीं, एक पृथक जिला "राजौरी जिला" के रूप में गठित किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य के राजस्व विभाग ने जम्मू और कश्मीर भू-राजस्व अधिनियम, संवत् 1996 की धारा 5 के अंतर्गत दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 को अधिसूचना एसआरओ 444 जारी की, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि तहसील राजौरी एवं नौशेरा की क्षेत्रीय सीमाओं को विद्यमान "पूंछ-राजौरी जिला" से पृथक कर एक पृथक जिला "राजौरी जिला" के रूप में गठित किया जाए। उपर्युक्त दोनों आदेशों को पढ़ने से एक स्पष्ट तथ्य सामने आता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कि यद्यपि राजौरी जिला को एक स्वतंत्र जिला के रूप में गठित करने के लिए धारा 5 के अंतर्गत नई अधिसूचना की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी इसे पुनः जारी किया गया, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि तहसील राजौरी एवं नौशेरा को प्रशासनिक रूप से "पूंछ-राजौरी जिला" कहे जाने वाले क्षेत्र से पृथक कर एक पृथक जिला "राजौरी जिला" बनाया गया है। यद्यपि उपर्युक्त आदेशों में "पूंछ-राजौरी जिला" का उल्लेख मिलता है, तथापि वास्तव में ऐसा कोई जिला कभी गठित नहीं किया गया था और संभवतः उक्त आदेशों में "पूंछ-राजौरी जिला" के संदर्भ के कारण ही यह भ्रम उत्पन्न हुआ है।

17. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि यदि संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध में प्रयुक्त "पूंछ जिला का निवासी" अभिव्यक्ति की व्याख्या पूंछ जिला के निवासी के रूप में की जाए और उसमें राजौरी के निवासी को सम्मिलित न माना जाए, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव संविधान की धारा 50 की उपधारा (2) के उपबंध, जिसमें कारगिल एवं लेह का उल्लेख है, की व्याख्या पर पड़ेगा, इस न्यायालय द्वारा भय उत्पन्न करने हेतु दिया गया तर्क माना गया है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

18. यह तर्क कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत व्याख्या को न्यायालय स्वीकार कर ले, तो इसका प्रभाव संविधान की धारा 50 की उपधारा (2) के उपबंध की व्याख्या पर

पड़ेगा, संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध पर गलत व्याख्या आरोपित करने का कोई आधार नहीं है। इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम आई.ओ.बी. स्टाफ कैंटीन वर्कर्स यूनियन एवं अन्य [(2004) 4 एससीसी 245] में, एक ठेकेदार, जो कैंटीन चला रहा था, को हटा दिया गया और इंडियन ओवरसीज बैंक (संक्षेप में 'आई.ओ.बी.') ने कैंटीन चलाने हेतु एक सहकारी समिति गठित करने पर सहमति व्यक्त की। आई.ओ.बी. के केंद्रीय कार्यालय ने सभी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर सहमति दी। आवश्यक कर्मचारी उन प्रवर्तकों द्वारा नियुक्त किए गए, जो कैंटीन का संचालन कर रहे थे। केंद्रीय कार्यालय द्वारा दैनिक प्राप्तियों से प्राप्त राशि के माध्यम से कैंटीन सफलतापूर्वक चलाई जा रही थी। तथापि, कैंटीन अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रही और अंततः बंद हो गई। परिणामस्वरूप, कैंटीन के कर्मचारी बेरोजगार हो गए। कर्मचारियों के संघ के आग्रह पर भारत सरकार ने औद्योगिक न्यायाधिकरण को दो संदर्भ भेजे। इस बीच, केंद्रीय कार्यालय ने एक तृतीय पक्ष के साथ अनुबंध के आधार पर कैंटीन चलाने की व्यवस्था की। इससे व्यथित होकर कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-ए के अंतर्गत शिकायत दायर की। न्यायाधिकरण ने यह निर्णय दिया कि कैंटीन के कर्मचारी आई.ओ.बी. के कर्मचारी माने जाएंगे और उन्हें समान दर्जा एवं सुविधाएँ प्राप्त होंगी। न्यायाधिकरण ने शिकायत में किए गए दावे को भी स्वीकार कर लिया। आई.ओ.बी. द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने न्यायाधिकरण के पुरस्कार को निरस्त कर दिया, जिसे बाद में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पुनः बहाल कर दिया। इस न्यायालय के समक्ष, आई.ओ.बी. ने यह आशंका व्यक्त की कि यदि कैंटीन कर्मचारियों का दावा स्वीकार कर लिया गया, तो बैंक को अन्य स्थानों पर संचालित सभी कैंटीनों के कर्मचारियों से भी इसी प्रकार के दावों का सामना करना पड़ेगा। इस तर्क को अस्वीकार करते हुए इस न्यायालय ने कहा कि ऐसा भय उत्पन्न करने वाला तर्क कर्मचारियों को उनके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता, यदि वे उन अधिकारों के पात्र हैं।

19. यह उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग से यह प्रश्न किया गया था कि क्या जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 50(3) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ राजौरी के निवासी को दिया जा सकता है। इस पर भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 30 मार्च, 2005 के अपने पत्र द्वारा यह स्पष्ट किया कि संविधान की धारा 50(3) में उल्लिखित पूंछ जिला में राजौरी जिला भी सम्मिलित होगा, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के गठन के समय अविभाजित पूंछ जिला का भाग था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 138 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को राज्य में

आयोजित चुनावों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है, अतः दिनांक 30 मार्च, 2005 के अपने पत्र में व्यक्त निर्वाचन आयोग का मत बाध्यकारी है और इसे इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। यह सत्य है कि संविधान की धारा 138 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। तथापि, धारा 138 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं अथवा राज्य विधानमंडल या विधान परिषद की क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण नहीं कर सकता। भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों तथा निर्वाचन आयोग की भूमिका का विश्लेषण करते हुए, इस न्यायालय ने लक्ष्मी कांत बाजपेयी बनाम हाजी याकूब एवं अन्य (उपर्युक्त) में यह घोषित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के पास किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं या क्षेत्रफल में परिवर्तन करने अथवा उनका विस्तार करने की कोई शक्ति नहीं है। संभव है कि धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध की व्याख्या करते समय न्यायालय, निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्त मत पर विचार कर सकता है, किन्तु चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति, इस स्पष्टीकरण को न तो राज्य सरकार पर और न ही चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों एवं मतदाताओं पर बाध्यकारी बनाती है। यह इस न्यायालय पर तो बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। दिनांक 30 मार्च, 2005 के पत्र में निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्त मत पर विचार करने के पश्चात, यह न्यायालय उससे सहमत होना कठिन पाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण न केवल संबंधित दोनों जिलों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विपरीत है, बल्कि यह विधि की व्याख्या के सुव्यवस्थित सिद्धांतों के भी प्रत्यक्ष रूप से विरुद्ध है।

20. अंतिम तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि "पूंछ जिला का निवासी" अभिव्यक्ति में राजौरी के निवासी को सम्मिलित नहीं माना जाता है, यह सिद्ध करने का भार प्रत्यर्थी संख्या 1 पर था, जिसने अपीलकर्ता के विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, और चूँकि उक्त भार निर्वहन नहीं किया गया, अतः याचिका को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। यह तर्क पूर्णतः निराधार है।

21. आक्षेपित आदेश पर एक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया था कि यह पूर्णतः एक विधिक प्रश्न है, जिसका निर्णय संविधान के प्रावधानों की व्याख्या के आधार पर किया जाना है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के भार का प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष उत्पन्न ही नहीं होता था। यह न्यायालय पाता है कि अपीलकर्ता का यह विशिष्ट मामला था कि "पूंछ जिला का निवासी" अभिव्यक्ति में राजौरी

जिला का निवासी भी सम्मिलित है, और इसलिए यदि वह चाहता तो इस दावे के समर्थन में अभिलेख पर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था। तथापि, तथ्य यह है कि अपीलकर्ता द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह, यहाँ तक कि दूर से भी, संकेत मिलता हो कि राजौरी का निवासी, संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध के प्रयोजनों के लिए, पूंछ जिला का निवासी कहलाता या माना जाता है। इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस मत का है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 की याचिका, जिसमें अपीलकर्ता के विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, इस आधार पर निरस्त न करना कि प्रत्यर्थी संख्या 1 साक्ष्य के भार का निर्वहन करने में विफल रहा, पूर्णतः उचित था।

22. उपर्युक्त कारणों के आधार पर, यह न्यायालय अपील में कोई भी सार नहीं पाता है। आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि संविधान की धारा 50 की उपधारा (3) के उपबंध में प्रयुक्त "पूंछ जिला का निवासी" अभिव्यक्ति में राजौरी का निवासी सम्मिलित नहीं है, न्यायोचित है और वर्तमान अपील में उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता। अतः यह अपील, जो गुणहीन है, निरस्त किए जाने योग्य है।

23. अतः अपील असफल होती है और निरस्त की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

बी.बी.बी. अपील निरस्त।

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|